HINDUSTAN, Muzaffarpur, 8.4.2024
Page No. 4, Size:(8.94)cms X (5.21)cms.

आयोग ने पूछा, क्यों फोड़ी गई आंख

फॉलोअप

- आयोग ने एसएसपी को जारी किया नोटिस
- अधिवक्ता पंकज कुमार की आंख फोड़ने का मामला

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। पावर हाउस चौक के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा डंडा से मारकर अधिवक्ता पंकज कुमार की आंख फोड़ने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने सवाल किया है कि अधिवक्ता पर डंडा क्यों चलाया गया और आंख क्यों फोड़ी गई। आयोग ने मामले की रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले मांगी है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट भेजने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई करेगा।

पीड़ित की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पूरा प्रकरण मानवाधिकार उल्लंघन की अतिगंभीर श्रेणी का है। आयोग मामले को लेकर काफी सख्त है। आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है।

पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा बिहार मानवाधिकार आयोग को मामले से अवगत कराया था। एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रामशरण सिंह ने बताया कि आयोग के द्वारा उठाये गये इस कदम से दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना सुनिश्चित है।

State health card: Still short on key indicators

https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/state-health-card-still-short-on-key-indicators/articleshow/109101484.cms

HYDERABAD:Telangana and Andhra Pradesh have a lot of ground to cover as far as health indicators such as govt health expenditure (GHE) and per capita health expenditure are concerned.
According to national health accounts (NHA) data, GHE as a percentage of GSDP for both Telangana and AP stands at 0.9%. Health experts have called for raising GHE from the existing 1.2% to 2.5% of GSDP by 2025.

Percentage of GHE as part of govt general expenditure (GGE) stands at 6.5% for Telangana and 6% for AP. According to experts, good systems as well as regulations must be put in place to reduce the gaps in healthcare access for the people. The central and state govts' budgeted expenditure on the health sector reached 2.1% of GDP in the budget estimates for 2022-23 and 2.2% in the revised estimates for 2021-22, an increase from 1.6% in 2020-21.

Not surprisingly, per capita tota GHE for both states is very low (for Telangana it is ?2,263 and ?1,699 for AP). The NHA also recommended spending 6.2% total budget on health and in 2023-24, AP spent 6% and Telangana spent 6.2%.Experts said the states have to shore up healthcare before improving the global ranking of India at 145 out of 190 countries.

In Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttarakhand, low public health spending is related to low out of pocket health expenditure, an expert explained."Though the gap between rich and poor countries in terms of providing health care has improved by 50%, better access to health insurance and facilities in govt hospitals are a far cry," said Kiran Madala of All India Federation of Govt Doctors Association.

Though the Constitution has not directly mentioned right to health and accessibility to health care, Article 21, however, guarantees a fundamental right to life.

In 2018, **National Human Rights Commission** had drafted the charter of patient rights to be implemented by state govt. Rajasthan was the first state to introduce the right to health bill in the state assembly on Sept 22, 2022. It seeks to provide for protection and fulfilment of equitable rights in health and wellbeing. This includes free health care services at any clinical establishment to residents of the state.

Kerala veterinary student s death: CBI begins probe

https://www.thestatesman.com/india/kerala-veterinary-students-death-cbi-begins-probe-1503288029.html

The Central Bureau Investigation (CBI) has started probing into the death of J S Sidharthan who was found hanging at…

The Central Bureau Investigation (CBI) has started probing into the death of J S Sidharthan who was found hanging at the hostel of Kerala Veterinary and Animal Sciences University (KVASU) campus at Pookode in Wayanad.

A four-member team led by SP Sundarvel reached the KVASU campus at Pookode in Wayanad on Saturday after the Central government issued a notification for a CBI investigation into the death of Sidharthan.

The CBI on Friday issued a notification announcing the takeover of the case close on the heels of the Kerala High Court order directing the Central agency to take over the case.

The high court on Friday urged the Union government to notify a CBI probe into the death of the veterinary student immediately. A single bench of Justice Bechu Kurian Thomas said delay can defeat the ends of justice and affect the entire investigation and urged the Union government to issue notification under Section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act without delay for entrusting the investigation into the death of Sidharthan with the CBI.

The agency has re-registered the FIR filed at the Vythiri police station in Waynad against 20 people, after receiving the notification from the Centre in this connection.

The accused have been booked under IPC sections related to criminal conspiracy, abetment to suicide, wrongful restraint, voluntarily causing hurt, and Kerala's anti-ragging law.

The CBI team met the Kalpetta DySP, who had probed the case initially and collected information on the case.

The CBI has summoned Sidharthan's father Jayaprakash to record his statement on Tuesday.

Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) decided to intervene in the case amid mounting political pressure. It is learned a team of NHRC officials will reach the veterinary university campus at Pookode for evidence collection on Monday. The

team will be at the campus for five days. Teaching and non-teaching staff will be interrogated during the team's five-day visit.

J S Sidharthan, a second-year veterinary student at the Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Pookode campus in Wayanad, was found dead inside the hostel after a brutal ragging and assault allegedly by the SFI leaders on February 18. Sidharth was reportedly beaten up by SFI leaders at four places in the college premises. However, the SFI has denied the allegations.

Wayanad: 29 घंटे टॉर्चर...छात्र ने लगाई फांसी, CBI ने SFI सदस्यों समेत 20 पर दर्ज की FIR

https://www.editorji.com/hindi/india-news/wayanad-29-hours-of-torture-student-hanged-himself-cbi-files-fir-against-20-including-sfi-members-1712491453586

वायनाड में छात्र के सुसाइड के मामले में सीबीआई ने एएफआई के सदस्यों समेत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. छात्र ने टॉर्चर से तंग आकर आत्महत्या किया थी.

Wayanad: केरल के वायनाड में छात्र सिद्धार्थन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. अब इस मामले की जांच CBI कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBI ने मामले से जुड़े 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें कि 18 फरवरी को पुक्कोड़ यूनिवर्सिटी में पशु विज्ञान के छात्र जेएस सिद्धार्थन ने सुसाइड किया था. पुलिस की जांच में पाया गया कि सिद्धार्थन को करीब 29 घंटों तक टॉर्चर किया गया था. इसलिए अब यह केस सीबीआई को सौंप दी गई है.

छात्र सिद्धार्थन की उम्र 20 साल थी. सिद्धार्थन के परिजनों ने वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के सदस्यों पर टॉर्चर का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. मामले में आसिफ खान और मोहम्मद धनीस सहित कुल 20 लोगों पर केस दर्ज है.

इन पर सिद्धार्थन को आत्महत्या के लिए मजबूर करने व रैगिंग अधिनियम सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई हुई है.बता दें कि **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है. 8 अप्रैल यानी कि सोमवार को आयोग की एक टीम वायनाड पहुंचने वाली है. ये टीम पीड़ित के परिजनों और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगी.

Mukhtar Ansari Death: Banda Jail में माफिया की मौत पर मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज | Amitabh Thakur

https://www.livehindustan.com/videos/national/mukhtar-ansari-death-1-9710803

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद रहें माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को एक मेडिकल कालेज में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी थी. इस मामले में अब एक और नई जानकारी सामने आई है.... **राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग** ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के मामले में केस दर्ज कर लिया है. आजाद अधिकार सेना के राष्ट्री य अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शिकायत और जेल अधीक्षक बांदा की रिपोर्ट के क्रम में इस केस को दर्ज किया गया है....जेल अधीक्षक बांदा ने सजायाफ्ता बंदी की मौत के बाद निश्चित प्रक्रिया के अनुसार मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी. अमिताभ ठाकुर ने आयोग से इस मृत्यु के संदिग्ध होने की शिकायत की थी. उन्होंनेन्हों ने कहा था कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग एक लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें काफी समय से स्लो पाइजन यानी ऐसा जहर जो धीमें-धीमें इंसान की जान लेता है दिया जा रहा..

हॉस्टल में मौत से पहले छात्र को 29 घंटे तक किया गया था टॉर्चर : पुलिस रिपोर्ट - Kerala Student Torture Case

https://www.etvbharat.com/hi/!bharat/kerala-student-endures-29-hours-of-torture-before-found-dead-in-hostel-says-police-report-hin24040704561

kerala student torture : केरल की वेटनरी यूनिवर्सिटी में संदिग्ध हालात में मृत मिले छात्र के मामले की जांच सीबीआई कर रही है. पुलिस ने सीबीआई को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें खुलासा हुआ है कि छात्र को प्रताड़ित किया गया था.

वायनाड (केरल): केरल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायनाड में पूकोडे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 20 वर्षीय छात्र जेएस सिद्धार्थ का शव छात्रावास में फंदे से लटका मिला था. आत्महत्या से पहले उसे 29 घंटे तक सहपाठियों और सीनियर्स की यातनाएं सहनी पड़ीं. मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को सौंपी गई रिपोर्ट में बेहद परेशान करने वाली बातें शामिल हैं.

द्वितीय वर्ष का छात्र सिद्धार्थ 18 फरवरी को हॉस्टल में मृत पाया गया था. शुक्रवार को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. यूनिवर्सिटी कैंपस में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम ने 20 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और रैगिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.

विथिरी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर प्रशोभ पीवी ने सीबीआई को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक सिद्धार्थ को 16 फरवरी की सुबह 9 बजे से 17 फरवरी की दोपहर 2 बजे तक गंभीर मानसिक और शारीरिक यातना दी गई. उसे बेल्टों से पीटा गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

शुरुआत में इसे अप्राकृतिक मौत का मामला बताया गया, राज्य पुलिस द्वारा मामले का विवरण जो सीबीआई को सौंपा गया उससे पता चलता है कि कॉलेज की एंटी-रैगिंग सेल रिपोर्ट से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ को मानसिक और शारीरिक यातना का सामना करना पड़ा था.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जाएगी: **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने हस्तक्षेप करते हुए पांच दिवसीय जांच के लिए सोमवार को पूकोड वेटरनरी कॉलेज का दौरा निर्धारित किया है. एंटी-रैगिंग सेल द्वारा प्राप्त शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी.

गौरतलब है कि सिद्धार्थ के अपने छात्रावास में मृत पाए जाने के बाद, उनके माता-पिता ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे सीपीआई-एम छात्र विंग स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) से जुड़े छात्र थे. जिसके बाद केरल पुलिस ने कॉलेज के कई एसएफआई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. बाद में, परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया.

राज्य स्वास्थ्य कार्ड: प्रमुख संकेतकों में अभी भी कमी

https://jantaserishta.com/local/telangana/state-health-card-still-lacking-in-key-indicators-3208958

हैदराबाद: जहां तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जैसे स्वास्थ्य संकेतकों का सवाल है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते (एनएचए) के आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना और एपी दोनों के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएचई 0.9% है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने 2025 तक जीएचई को जीएसडीपी के मौजूदा 1.2% से बढ़ाकर 2.5% करने का आह्वान किया है।

सरकारी सामान्य व्यय (जीजीई) के हिस्से के रूप में जीएचई का प्रतिशत तेलंगाना के लिए 6.5% और एपी के लिए 6% है।विशेषज्ञों के अनुसार, लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में अंतर को कम करने के लिए अच्छी प्रणालियों के साथ-साथ नियम भी लागू किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का बजटीय व्यय 2022-23 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% और 2021-22 के संशोधित अनुमान में 2.2% तक पहुंच गया, जो 2020-21 में 1.6% से वृद्धि है।

आश्चर्य की बात नहीं है, दोनों राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति कुल GHE बहुत कम है (तेलंगाना के लिए यह ?2,263 और आंध्र प्रदेश के लिए ?1,699 है)। एनएचए ने स्वास्थ्य पर कुल बजट का 6.2% खर्च करने की भी सिफारिश की और 2023-24 में, एपी ने 6% और तेलंगाना ने 6.2% खर्च किया। विशेषज्ञों ने कहा कि 190 देशों में से 145 में भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने से पहले राज्यों को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना होगा।

एक विशेषज्ञ ने बताया कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड में, कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जेब से कम स्वास्थ्य व्यय से संबंधित है।ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की किरण मदाला ने कहा, "हालांकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के मामले में अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर 50% तक सुधर गया है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा और सुविधाओं तक बेहतर पहुंच बहुत दूर की बात है।"

एक विशेषज्ञ ने बताया कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड में, कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जेब से कम स्वास्थ्य व्यय से संबंधित है।ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की किरण मदाला ने कहा, "हालांकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के मामले में अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर 50% तक सुधर गया है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा और सुविधाओं तक बेहतर पहुंच बहुत दूर की बात है।"

हालाँकि संविधान में सीधे तौर पर स्वास्थ्य के अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।2018 में, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले रोगी अधिकारों के चार्टर का मसौदा तैयार

किया था। राजस्थान 22 सितंबर, 2022 को राज्य विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य था। यह स्वास्थ्य और कल्याण में न्यायसंगत अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ति प्रदान करना चाहता है। इसमें राज्य के निवासियों के लिए किसी भी नैदानिक प्रतिष्ठान में मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल हैं।

29 घंटे तक टॉर्चर झेलने के बाद सिद्धार्थन ने लगाई थी फांसी... CBI ने आसिफ खान और धनीस सहित 20 पर दर्ज की FIR

https://www.sudarshannews.in/news-detail.aspx?id=104041

केरल के के वायनाड स्थित पुक्कोड़ यूनिवर्सिटी में 18 फरवरी 2024 को पशु विज्ञान के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. केरल पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया था.

केरल के के वायनाड स्थित पुक्कोड़ यूनिवर्सिटी में 18 फरवरी 2024 को पशु विज्ञान के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. केरल पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच करते हुए आसिफ खान और मोहम्मद धनीस सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

बता दें कि 20 वर्षीय सिद्धार्थन की आत्महत्या के बाद परिजनों ने वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्यों पर सिद्धार्थन को टॉर्चर और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. जिसके बाद केरल पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया था कि सिद्धार्थन को लगभग 29 घंटों तक टॉर्चर किया गया था. परिजनों ने मामले की CBI जांच की मांग की थी.

CBI ने अपनी जांत में जिन आरोपितों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, उनमें से 4 आरोपी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) के नेता हैं. इन सभी के खिलाफ रैंगिंग और आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. CBI के साथ ही **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है.

SFI के जिन 4 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो यूनियन अध्यक्ष अरुण के, इकाई सचिव अमल इहसन, सदस्य अभिषेक पाल और आसिफ खान शामिल हैं. इसके साथ ही अमीन अकबर अली, अल्तफ ए, नासिर वी, सऊद रिसाल ईके, मुहम्मद धनीश, डान्स दाई, अरुण के, बिलगेट थानिक्कोडे, काशिनाथन आर एस, अजय जे, श्रीहरि आरडी, आदित्यन, रेहान बिनॉय, आकाश आरडी, अखिल के और अभि वी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि जांच में पता चला है कि इन सभी ने मिलकर 16 फरवरी 2024 को सिद्धार्थन को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक टॉर्चर किया था. इतना ही नहीं सिद्धार्थन को अगले दिन 17 फरवरी को भी टॉर्चर किया गया था. रैंगिंग के नाम पर इन लोगों ने सिद्धार्थन को बूरी तरह से बेल्टों से पीटा था. लगभग 29 घंटे की इस प्रताड़ित के बाद सिद्धार्थन ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली थी. सिद्धार्थन ने 18 फरवरी को दोपहर 12:30 से 1:45 के बीच फांसी लगाई थी.

CBI ने 20 आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 120 (आपराधिक साजिश रचने), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 323 (चोट पहुंचाने), 342 (अवैध तौर पर बंधक बनाने), 355 (हमला करने) और 506 (धमकाने) के

साथ केरल रैंगिंग निषेध अधिनियम की धारा 4/3 के तहत मामला दर्ज कर लिया था. CBI मामले में आगे की जांच कर रही है.

Modi Govt Rewriting History To Propel Hindutva Agenda: Opposition Leaders After NCERT Removes References To Babri Masjid, Gujarat Riots

https://www.india.com/education/modi-govt-rewriting-history-to-propel-hindutva-agenda-opposition-leaders-after-ncert-removes-references-to-babri-masjid-gujarat-riots-6841615/

NCERT TextBook Row: Dropping references to the demolition of Babri Masjid, the killing of Muslims in Gujarat riots and Hindutva, and tweaking the reference to Manipur's merger with India are some of t

NCERT TextBook Row: Dropping references to the demolition of Babri Masjid, the killing of Muslims in Gujarat riots and Hindutva, and tweaking the reference to Manipur's merger with India are some of the latest set of revisions in school textbooks made public by the National Council of Educational Research and Training (NCERT).

In addition to it, reference to the abrogation of Article 370, replacing the term "Azad Pakistan" with Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (POJK), and revising a paragraph defining the Left as those who prefers "state regulation over free competition" are also are also notable adjustments in the latest revisions to school textbooks.

NCERT Syllabus Row: Changes Made in Class 11th, 12th Political Science and Social Science textbooks

While NCERT did not comment on the topics being dropped, officials said the tweaks are part of the routine updation and are not linked to the development of new books as per the New Curriculum Framework (NCF), news agency PTI reported. The changes have been made in the Political Science and Social Science textbooks of classes 11 and 12, besides others.

However, NCERT's recent decision to omit such topics has faced criticism from several political leaders. Sharing a post on X, CPI(M) leader Sitaram Yechury said, "This is the 4th time that the NCERT text books are being revised since 2014 under the Modi govt. History is being rewritten to dovetail the Hindutva agenda. The aim is to influence young minds undermining the faculty of reasoning to aid the transformation of secular democratic India into a rabidly intolerant fascistic Hindutva Rashtra."

Meanwhile, State General Education Minister V Sivankutty said Kerala is firm on its position as far as the issue is concerned. In a statement, Sivankutty said the NCERT had made similar attempts before as well and dropped certain portions from its history, social science and politics textbooks, PTI reported.

According to a document detailing the changes prepared by the curriculum drafting committee of the NCERT, the reference to the Ram Janmabhoomi movement has been tweaked “as per latest development in politics”.

NCERT Class 11th TextBook Changes: Changes Made in Chapter 8 on Secularism

As per PTI report, Chapter 8 on Secularism in class 11 textbook earlier said, “More than 1,000 persons, mostly Muslims, were massacred during the post Godhra riots in Gujarat in 2002.” It has been changed to “more than 1,000 persons were killed during the post Godhra riots in Gujarat in 2002”. The NCERT’s rationale behind the change is “in any riots, people across communities suffer. It cannot be just one community”.

NCERT Class 12th Political Science Changes: Changes Made in Chapter 7 on Politics in India since Independence

In chapter seven of the Political Science textbook of class 12 (Politics in India since Independence), the Council has revised a paragraph to include a reference to the abrogation of Article 370 of the Constitution, which accorded special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir.

Earlier, the paragraph was, “While most of the states have equal powers, there are special provisions for some states like J&K and the states in the North-East”. The revised version adds one line in the end of the paragraph saying, “However, Article 370 that contains special provisions for J&K was abrogated in August 2019“.

On Pakistan-occupied Kashmir, the earlier textbook stated “India claims that this area is under illegal occupation. Pakistan describes this area as Azad Pakistan”. The changed version says, “However, it is the Indian territory which is under illegal occupation of Pakistan and called as Pakistan occupied Jammu and Kashmir (POJK).”

The NCERT’s rationale behind the alteration is that the “change that has been introduced is in complete concurrence with the latest position of the Govt of India in regard to Jammu and Kashmir”.

NCERT Book on Manipur

On Manipur, the earlier textbook stated, “The Government of India succeeded in pressurising the Maharaja into signing a Merger Agreement in September 1949, without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt.” The changed version says, “The Government of India succeeded in persuading the Maharaja into signing a Merger Agreement in September 1949.”

Ayodhya Demolition, Politics of Hindutva Dropped

What is the legacy of the Ram Janmabhoomi movement and the Ayodhya demolition for the nature of political mobilisation changes to What is the legacy of the Ram Janmabhoomi movement?

In chapter 8, Recent Developments in Indian Politics, references to the “Ayodhya demolition” has been dropped. “What is the legacy of the Ram Janmabhoomi movement and the Ayodhya demolition for the nature of political mobilisation?” has been changed to “What is the legacy of the Ram Janmabhoomi movement?”. In the same chapter, references to the Babri Masjid and the politics of Hindutva were dropped.

As per the PTI report, the earlier paragraph read: “Fourth, a number of events culminated in the demolition of the disputed structure at Ayodhya (known as Babri Masjid) in December 1992. This event symbolised and triggered various changes in the politics of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism. These developments are associated with the rise of the BJP and the politics of ‘Hindutva’.”

This was changed to: “Fourth, the centuries old legal and political dispute over the Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya started influencing the politics of India which gave birth to various political changes. The Ram Janmabhoomi Temple Movement, becoming the central issue, transformed the direction of the discourse on secularism and democracy. These changes culminated in the construction of the Ram Temple at Ayodhya following the decision of the constitutional bench of the Supreme Court (which was announced on November 9, 2019).”

Democratic Rights”, a reference to the Gujarat riots Dropped

In chapter 5 titled “Democratic Rights”, a reference to the Gujarat riots was dropped in the caption to a news collage. The earlier version was – “Do you notice references to the National Human Rights Commission (NHRC) in the news collage on this Page? These references reflect the growing awareness of human rights and struggles for human dignity. Many cases of human rights violations in diverse fields, for instance, Gujarat riots, are being brought to the public notice from across India.” This was changed to “Many cases of human rights violations in diverse fields are being brought to the public notice from across India.”

29 घंटे तक झेला टॉर्चर, फिर फंदे से झूल गया सिद्धार्थन: वायनाड में छात्र की मौत के मामले में CBI ने 20 पर दर्ज की FIR, वामपंथी गुंडे थे शामिल

https://hindi.opindia.com/reports/kerala-wayanad-js-sidharthan-suicide-case-cbi-registers-fir-against-20-sfi-goons-torture-29-hours/

टॉर्चर के दौरान सिद्धार्थन को खाना भी नहीं दिया गया था। उसे पहले सबके आगे सिर्फ अंडरवियर पहना कर पीटा गया और बाद एक सुनसान जगह पर बंद कर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन डे पर एक लड़की के साथ डांस करने की वजह से वामपंथी छात्र सिद्धार्थन से नाराज थे।

केरल के वायनाड स्थित पुक्कोड़ यूनिवर्सिटी में पशु विज्ञान के छात्र जेएस सिद्धार्थन ने 18 फरवरी 2024 को फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। केरल पुलिस ने अपनी जाँच में पाया है कि सिद्धार्थन को करीब 29 घंटों तक टॉर्चर किया गया था। अब यह केस सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 5 अप्रैल 2024 को इस मामले में 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

20 वर्षीय सिद्धार्थन के परिजनों ने वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्यों पर टॉर्चर का आरोप लगाते हुए CBI जाँच की माँग की थी। आसिफ खान और मोहम्मद धनीस सहित कुल 20 पर FIR दर्ज की गई है। इन पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने व रैंगिंग अधिनियम सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBI ने जिन आरोपितों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, उसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) के 4 नेता नामजद हैं। इसमें यूनियन अध्यक्ष अरुण के, इकाई सचिव अमल इहसन, सदस्य आसिफ खान और अभिषेक पाल शामिल हैं। अन्य नामजदों के नाम अखिल के, काशिनाथन आर एस, अरुण के, अजय जे, अल्तफ ए, मुहम्मद धनीश, श्रीहरि आरडी, अमीन अकबर अली, सऊद रिसाल ईके, आकाश आरडी, रेहान बिनॉय, डान्स दाई, नासिर वी, अभि वी, बिलगेट थानिक्कोडे और आदित्यन हैं।

FIR में बताया गया है कि 16 फरवरी 2024 को इन सभी आरोपितों ने सिद्धार्थन को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक टॉर्चर किया था। प्रताड़ना का यह दौर अगले दिन 17 फरवरी को भी चला था। रैंगिंग के नाम पर सिद्धार्थन को बेरहमी से बेल्टों से पीटा गया था। लगातार 29 घंटे प्रताड़ित होने के बाद सिद्धार्थन को लगने लगा कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी नहीं रख सकता है। इसी मानसिक तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली। 18 फरवरी को सिद्धार्थन ने दोपहर 12:30 से 1:45 के बीच हॉस्टल के बाथरूम में फाँसी लगा ली थी।

CBI ने आरोपितों के खिलाफ IPC में आपराधिक साजिश रचने की धारा 120, आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306, चोट पहुँचाने की धारा 323, अवैध तौर पर बंधक बनाने की धारा 342, हमला करने की धारा 355 और धमकाने की धारा 506 के साथ केरल रैंगिंग निषेध अधिनियम की धारा 4/3 के तहत कार्रवाई की है।

FIR के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अभी तक कुल 18 छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है।

सीबीआई को केस सौंपे जाने से पहले केरल पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत यह मामला दर्ज किया था। यह धारा किसी की असामयिक मृत्यु पर लगाई जाती है। तब पुलिस ने यूनिवर्सिटी के ही एक अन्य छात्र कृष्णलाल के बयान को केस का आधार बनाया था। केरल पुलिस द्वारा यह केस वायनाड के विथिरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। तब जाँच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रशोभ पीवी ने अपनी केस डायरी में यह लिखा था कि सिद्धार्थन को उसके सीनियर और सहपाठी छात्रों ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था।

पुलिस ने सिद्धार्थन द्वारा आत्महत्या करने की वजह इसी प्रताड़ना को बताया था। जाँच अधिकारी ने अदालत में आरोपितों पर धाराएँ बढ़ाने के लिए अर्जी भी दी थी। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। आयोग की एक टीम 8 अप्रैल को वायनाड पहुँचने वाली है। यह टीम पीड़ित के परिजनों और पुलिस अधिकारियों से मिलेगी।

गौरतलब है कि टॉर्चर के दौरान सिद्धार्थन को खाना भी नहीं दिया गया था। उसे पहले सबके आगे सिर्फ अंडरवियर पहना कर पीटा गया और बाद एक सुनसान जगह पर बंद कर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन डे पर एक लड़की के साथ डांस करने की वजह से वामपंथी छात्र सिद्धार्थन से नाराज थे। उन्होंने उससे इसके लिए माफी भी मँगवाई थी। उसे कॉलेज के 130 छात्रों के आगे प्रताड़ित किया गया था। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने का प्रयास किया था। आंतरिक जाँच के लिए बनी कमेटी के आगे कई शिक्षकों ने भी मुँह खोलने से इनकार कर दिया था।

Kerala Student Endures 29-Hr Torture By Classmates, Seniors Before Suicide In Hostel: Police Report

https://www.etvbharat.com/en/!bharat/kerala-student-endures-29-hr-torture-by-classmates-seniors-before-suicide-in-hostel-police-report-enn24040703975

An investigation conducted by Vythiri police station revealed that JS Siddharth (20) was assaulted and ragged by his classmates and seniors from 9 am on February 16 to 2 pm the next day. His body was found at his hostel on February 18. The state police handed the probe details to CBI, which has taken over the case.

Wayanad (Kerala): 20-year-old JS Siddharth, a student of Pookode Veterinary University in Wayanad, who allegedly died by suicide at his hostel, was subjected to severe ragging and assault by classmates and seniors for 29 hours, the Kerala Police have stated in its report, which was handed over to the CBI.

Siddharth, who was a second-year student was found dead on February 18. On Friday, the case was handed over to CBI. A CBI team that arrived at the university campus for investigation, has registered an FIR against 20 people under charges of abetment to suicide, criminal conspiracy and ragging.

In the case details provided by sub-inspector Prashobh PV of Vythiri police station to CBI, Siddharth underwent severe mental and physical torture from 9 am on February 16 to 2 pm on February 17. He was beaten up with belts, ragged, thrashed and mentally tortured, the case details revealed.

Initially labeled as a case of unnatural death, the case details that were handed over to the CBI by the state police suggests Siddharth faced mental and physical torture as per information collected from the college's Anti-Ragging Cell report.

Meanwhile, the National Human Rights Commission is scheduled to visit Pookode Veterinary College on Monday for a five-day inquiry. Teaching and non-teaching staff will be questioned with a focus on addressing the complaints received by the college's Anti-Ragging Cell.

After Siddharth was found dead at his hostel, his parents alleged that students belonging to the CPI-M students' wing Students' Federation of India (SFI) were behind the incident. Following which, Kerala Police arrested many SFI members of the college.

Later, the family demanded a CBI probe into the matter saying they have no faith on the ongoing probe. After which, Chief Minister Pinarayi Vijayan ordered transfer of the case to CBI.

Sidharthan s death: CBI begins probe NHRC officials to visit veterinary varsity tomorrow

https://www.onmanorama.com/news/kerala/2024/04/07/veterinary-university-sidharthan-death-cbi-nhrc-begin-probe.html

wayanad: The Central Bureau Investigation has started its probe into the death of J S Sidharthan who was found hanging at the hostel of Kerala Veterinary and Animal Sciences University here. A four-member team led by SP Sundarvel reached Wayanad on Saturday. According to reports, four more officials including Malayalis will join the team.Meanwhile, the National Human Rights Commission also decided to intervene in the case amid mounting political pressure. Manorama News reported that a team of NHRC officials will reach the veterinary university for evidence collection on Monday. Teaching and non-teaching staff will be interrogated during the five-day visit.

Sidharthan's family alleged that he faced brutal ragging and mob trial at the campus. He was found hanging inside the toilet of the men's hostel on February 18.

The CBI has summoned Sidharthan's father Jayaprakash for recording his statement. Kalpetta police asked him to appear before CBI on Tuesday. The officials of the central agency visited Kalpetta DySP T N Sajeevan on Saturday and collected copies of the documents related to the case. It is learnt that the team will submit a plea in the court seeking documents including the case diary.

The CBI has summoned Sidharthan's father Jayaprakash for recording his statement. Kalpetta police asked him to appear before CBI on Tuesday. The officials of the central agency visited Kalpetta DySP T N Sajeevan on Saturday and collected copies of the documents related to the case. It is learnt that the team will submit a plea in the court seeking documents including the case diary.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से पूछा – "अधिवक्ता की आँख क्यों फोड़ा?"

https://tirhutnow.com/crime/national-human-rights-commission-asked-the-police-why-did-the-advocates-eye-gouged-out/

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को जारी किया नोटिस!

_पीड़ित अधिवक्ता की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा कर रहे हैं मामले की पैरवी!_

मुजफ्फरपुर – जिले के काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आँख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस से सवाल किया है कि अधिवक्ता पर डंडा क्यों चलाया गया और अधिवक्ता की आँख क्यों फोड़ी गई? आयोग के द्वारा पुरे मामले की रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले माँगी गई है।

विदित हो कि 7 फरवरी को अधिवक्ता पंकज कुमार रात्रि के लगभग 11:40 बजे पटना से अपने आवास मुजफ्फरपुर लौट रहे थे, तब पावर हाउस चौक पर पहले से मौजूद काजीमोहम्मदपुर थाने के पुलिसकर्मी वाहन जाँच के लिए खड़े थे। पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और पूछा गया कि वे कहाँ से आ रहे हैं? जबतक अधिवक्ता कुछ बोल पाते तबतक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें गाली देते हुए पुलिसकर्मियों को उन्हें मारने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के द्वारा अधिवक्ता पंकज कुमार के आँख को डंडे से भोंक दिया गया। वे दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर गिर गए। तब सभी पुलिसकर्मी वहाँ से भाग गए।

अधिवक्ता पंकज कुमार का ईलाज शंकर नेत्रालय कोलकाता में हुआ। उनकी एक आँख की रौशनी खत्म हो चुकी है। अबतक दो बार सर्जरी हो चुकी है। एक सर्जरी मई के अंतिम सप्ताह में होनी है। चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है कि अधिवक्ता के क्षतिग्रस्त आँख की रौशनी लौट पाना मुश्किल है। पुरे मामले की जानकारी पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को तलब किया है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह पूरा प्रकरण मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है। आयोग मामले को लेकर काफी सख्त है और आयोग के द्वारा मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रामशरण सिंह ने कहा कि आयोग के द्वारा उठाये गये इस कदम से दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर-से-कठोर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। महासचिव वीरेन्द्र कुमार लाल ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को विभाग से अविलम्ब बर्खास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। वहीं वरीय कानूनविद् विजय कुमार शाही ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को अविलम्ब बर्खास्त करते हुए सरकार को तत्काल 20 लाख रूपये का मुआवजा अधिवक्ता पंकज कुमार को अविलम्ब देना चाहिए।

अधिवक्ता के आंख फोड़ने के मामले में 15 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/attack-on-lawyer-in-muzaffarpur

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को जारी किया नोटिस उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को नोटिस जारी किया है. आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस से सवाल किया है कि अधिवक्ता पर डंडा क्यों चलाया गया और अधिवक्ता की आंख क्यों फोड़ी गयी. आयोग के द्वारा पूरे मामले की रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले मांगी है. विदित हो कि सात फरवरी को अधिवक्ता पंकज कुमार रात्रि 11.40 बजे पटना से अपने आवास लौट रहे थे, तब पावर हाउस चौक पर पहले से मौजूद काजी मोहम्मदपुर थाने के पुलिसकर्मी वाहन जांच के लिए खड़े थे. पुलिस कर्मियों द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और पूछा गया कि वे कहां से आ रहे हैं. इस दौरान पुलिसकर्मी ने डंडा चलाया, जो पंकज कुमार की आंख में लग गया. अधिवक्ता पंकज कुमार का इलाज कोलकाता के शंकर नेत्रालय में हुआ. उनकी एक आंख की रौशनी खत्म हो चुकी है. पूरे मामले की जानकारी पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व बिहार मानवाधिकार आयोग को दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को तलब किया है. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा प्रकरण मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है.